155

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र010/ख0वि0अधि0–03/2018 5423 खाद्य, पटना/दिनांक– 26-11-2018

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

CGM (PR)
Pl. imple

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 5370 दिनांक– 22.11.2018

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 में राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक– 5370 दिनांक– 22.11.2018 द्वारा विस्तृत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश जिलों को प्रेषित किया गया है । उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम, 2018--19 में राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के पंजीकृत किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति किये जाने की विशेष व्यवस्था की जाय। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों या बिचौलियों की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो।

विदित हो कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को पूरे राज्य में सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है । प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश में संबंधित विभागों, नोडल अभिकरण, सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी समितियॉं, प्रभारी सचिवों एवं इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों के संबंध में विस्तृत दायित्वों का निर्धारण किया गया है, ऐसी स्थिति में यह बाध्यकारी है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं जिलान्तर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरन्त बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आपात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

अतः निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक– 5370 दिनांक– 22.11.2018 द्वारा खरीफ विपणन मौसस 2018–19 हेतु निर्गत विस्तृत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–03/2018 5423 खाद्य, पटना/दिनांक– 26-11-2018
प्रतिलिपि–सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–03/2018 5423 खाद्य, पटना/दिनांक– 26-11-2018
प्रतिलिपि–सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–03/2018 5423 खाद्य, पटना/ दिनांक– 26-11-2018
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– प्र010/ख0वि0अधि0–03/2018 5423 खाद्य, पटना/दिनांक– 26-11-2018
प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।